न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/12/2019

अरसद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कठोल तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.08.2019 वमुकदमा प्रकरण सं0 20/2019 उनवानी सरकार बनाम अरसद

निर्णय **दिनांक 12.02.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.08.2019 इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन निर्णय कानून व रिकार्ड के विपरीत है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव का कतई अवलोकन नहीं किया गया । अपीलान्ट ने अपने जबाव में स्पष्ट अंकित किया है कि निर्धारित दुकान के आगे पानी भरा होने के कारण उपभोक्तओं की सुविधा व माल को सुरक्षित रखने के लिए अपीलान्ट निर्धारित दुकान से लगते हुए कमरे से राशन का वितरण कर रहा था । अपीलान्ट के विरूद्ध लगाया गया आरोप कि वह राशन सामग्री का वितरण तय रूपयों से अधिक लेने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए 500/—रूपये लेता है, इस बावत पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य नहीं है । अपीलान्ट के विरूद्ध यह आरोप भी निराधार है कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का उठाव किया गया है । भीड़ अधिक होने से व नेट कनेक्टिविटी की समस्या होने के कारण कई बार राशन कार्ड पर इन्द्राज होने से रह जाते हैं । अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं किये जाने बावत कोई शिकायत नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्ध झूंठी शिकायत मात्र राजनीतिक द्वेषता के कारण की गई है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 को निरस्त कर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने की प्रार्थना की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट अधिकृत दुकान के आगे पानी भरा होने के कारण उपभोक्ताओं की सुविधा व राशन सामग्री की सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित स्थान से लगे हुए कमरे से राशन का वितरण कर रहा था। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि अपीलान्ट खाद्य सामग्री का वितरण निश्चित राशि से कर रहा था। किसे से कोई अधिक राशि नहीं ली गई है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने बावत 500 / —रूपये लेने सम्बन्धी आरोप निराधार व झूंठे हैं । खाद्य सामग्री वितरा के समय उपभोक्ताओं की भीड़ अधिक होने व नैट कनैक्टिविटी की समस्या होने के कारण कई बार राशनकार्डों में इन्द्राज होने से रह जाते हैं। किन्तु राशन वितरण के सम्बन्ध में डीलर के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्य अपीलान्ट द्वारा अपने जबाव में अंकित किये हैं तथा कुछ उपभोक्ताओं के शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं परन्तु तहत न्यायालय द्वारा इसका अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है । अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने का निवेदन करते हुए अपनी बहस पूर्ण की गई ।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपभोक्तओं द्वारा शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में अपीलान्ट डीलर की मौके पर जाकर जॉच की गई। वर्तमान में अपीलान्ट डीलर द्वारा गैरप्रमाणित स्थल मैदान में बनी दो शटर की दुकान में वितरण कार्य किया जा रहा था। डीलर का यह कृत्य नियमों के खिलाफ है। प्राधिकार पत्र संख्या 1137 / 2017 में वितरण क्षेत्र थलचना ग्राम पंचायत है व प्रमाणित वितरण स्थल कठौल का है । डीलर द्वारा ग्राम थलचाना में जांच से 4 माह पूर्व तक थलचाना गांव में गैर प्रमाणित स्थल से वितरण किया जा रहा था । ऑन लाइन के वितरण के दिवस व राशनकार्ड में वितरण की इन्द्राज की तिथि भिन्न भिन्न पाये गए । कैरासिन का इन्द्राज राशनकाडों में नहीं पाया गया । ऑनलाइन वितरण में गेंहूॅ व केरोसिन का वितरण एक ही समय में दर्शाया गया है अर्थात एक बार अंगूठा लगवाया गया परन्तु राशनकार्ड में एक ही राशन सामग्री का इन्द्राज मिला जो दूसरी राशन सामग्री का दुरूपयोग कराना स्पष्ट है । मौके पर उपभोक्तओं ने राशन प्राप्त नहीं होना बताया । वक्त जांच राशनकाडों में 800 कि0ग्रा0 गेंहूॅ ,43 कि0ग्रा0 चीनी व 301 लीटर कैरोसिन का डीलर द्वारा दुरूपयोग करना पाया गया । इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं ने माह नवम्बर ,2018 व फरवरी 2019 में 2 रू0 प्रति कि0ग्रा0 के स्थान पर 3 रू0 प्रति किलोग्राम से गेंहूॅ का वितरण करना व कुछ उपभोक्ताओं से एन.एफ. एस.ए. में नाम जुड़वाने की एवज में 500 रूपये लेना भी बताया । पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया है कि डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाव में आरोपों का खारिज करने योग्य कोई तर्क नहीं दिया गया व प्रस्तुत जबाव में संलग्न 5 शपथ —

.....3

पत्रों की भाषा एक जैसी ही है तथा पूर्व लिखे शपथपत्रों में एक ही प्रकार से बिना राशनकार्ड के राशन प्राप्त करना लिखा गया है जो पश्चातवर्ती सोच को दर्शाता है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के खिलाफ तीन आरोप लगाये गये हैं। प्रथम आरोप के सम्बन्ध में अपीलान्ट का यह कहना कि निर्धारित स्थल दुकान के आगे पानी भरा होने के कारण अन्य स्थान से वितरण किया जा रहा था, अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वक्त जॉच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 14.5.2019 में अपीलान्ट डीलर को प्रमाणित नक्शा वितरण स्थल के बजाय अलग स्थान से सामग्री का वितरण करते हुये पाया गया है। इस बारे में डीलर ने स्वयं स्वेच्छा से वितरण करना स्वीकार किया है। निर्धारित प्रमाणित स्थल में पानी भरा होने सम्बन्धी कोई तथ्य मौका रिपोर्ट में अंकित नही है। फर्द मौका रिपोर्ट पर अन्य मौतविरान के साथ अपीलान्ट डीलर के भी हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट प्रमाणित नक्शे दुकान से अलग स्थल से वितरण के लिये किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई है और ना हीं ऐसा कोई तथ्य पेश किया गया है जिससे से यह माना जा सके कि डीलर ने सक्षम अधिकारी को इस बाबत सूचित किया हो, अपीलान्ट का यह कृत्य नियमों के विरुद्ध मनमाना है। द्वितीय व तृतीय के सम्बन्ध में अपीलान्ट का यह कथन कि शिकायत राजनीतिक द्वेष से झूठी की गई है, तथा भीड भाड़ होने व नेट कनेक्टिविटी की समस्या होने के कारण कई बार राशन कार्ड पर इन्द्राज होने से रह जाते हैं। अपीलान्ट के यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं क्यों कि प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा वक्त जॉच मौके पर तैयार की गई फर्द जॉच रिपोर्ट जिसमें उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर किये हुये हैं के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सरकार द्वारा गरीबों को दिये जाने वाले गेहूं की कीमत डीलर द्वारा 2/–रुपये के स्थान पर 3/– प्रति किलो गेहूं वसूली गई है, तथा NFSA में नाम जुडवाने के नाम पर 500/– रुपये गरीब उपभोक्ताओं से लिये गये हैं। उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में सामग्री का इन्द्राज नहीं करने बाबत अपीलान्ट का कहना कि वितरण के समय भीड़भाड़ एवं नैट कनैक्टिीविटी नहीं होने से रह जाते हैं यह तथ्य माने जाने योग्य नहीं है क्यों कि पोस मशीन पर उपभोक्ता का अगूंठा लगाने के बाद डीलर द्वारा सामग्री का वितरण करने सम्बन्धी राशनकार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है जिससे उपभोक्ताओं को यह मालूम हो सके कि उसे कौनसी सामग्री कितनी मात्रा में किस तिथि को प्राप्त की गई। राशनकार्ड में इन्द्राज के लिये नैट कनैक्टिीविटी से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि राशनकार्ड में हाथ से इन्द्राज किया जाता है। अपीलान्ट डीलर द्वारा ऐसा ना कर गरीब उपभोक्ताओं को धोखे में रखा जाकर वितरण सामग्री का दुरुपयोग किया गया है। जहॉ तक तहत पत्रावली में शामिल पॉच उपभोक्ताओं के शपथ–पत्रों का है, कथित

....4

शपथ पत्रों के अवलोकन से जाहिर है कि कथित पॉचों शपथ पत्रों में एक जैसी भाषा लिखी गई है तथा शपथ पत्र स्टाम्प पेपर की पुश्त पर स्टाम्प लेने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं है, इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा यह बाद की सोच के तहत तैयार कराये जाकर पेश किये गये हैं। इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.28 17:03:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: